राजस्व लोक अदालत केम्प देवरिया तहसील पचपदरा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस मुकदमा न0 353 /2018

वादीगण :– 1 गिरधारीराम पुत्र बागाराम, राजोदेवी पत्नि बागाराम जाति जाट निवासी थोरियों की ढाणी

बनाम

प्रतिवादीगण :– 1. हमीराराम पुत्र भीखाराम जाट निवासी थोरियों की ढाणी

136 आर.एल आर. **प्रार्थना पत्र**

निर्णय दिनांक:–22.05.2018

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.एल आर के अन्तर्गत राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत देवरिया प्रस्तुत की गई है।

प्रार्थी गिरधारीराम पुत्र बागाराम ने प्रार्थना पत्र पेश कर जाहिर किया कि ग्राम थोरियों की ढाणी में हमारी खातेदारी भूमि खसरा सख्या 321, 322 416, 460/330 व 487/360 की आपसी सहमती से विभाजन करवाया गया है, जिसका नामान्तरकरण सख्या 228 दर्ज किया गया है। खसरा सख्या 322 की तरमीम करते समय नामान्तरणकरण के पुष्ट में दर्शाये गये अनुसार नही करके खसरा संख्या 322 व 547/322 की तरमीम गलत कर दी गयी है। अतः नामान्तरकरण सख्या 228 दर्शायी गयी तरमीम के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने का निवेदन किया हैं ।

पत्रावली के संलग्न दस्तावेज मे नामान्तकरण संख्या 228 का अवलोकन व अध्ययन किया गया । प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना के साथ प्रस्तुत दस्तावेज पटवारी नागाणा आर0आई0 मण्डली उपतहसीलदार कल्याणपुर की संयुक्त रिपोर्ट का अवलोकन व अध्ययन किया गया ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा को आदेश दिया जाता है कि वर्तमान लट्ठा ट्रेस मे खसरा न0 322 के स्थान पर 547/322 तथा खसरा न0 547/322 के स्थान पर 322 दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

आदेश राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में सुनाया गया ।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(भागीरथ राम)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर

बालोतरा कैम्प........................

Scanned by CamScanner